

पत्रांक-कारा/स्था0(चि0)01-03/2017.....1788.....

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

प्रेषक,

राजीव वर्मा,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक...12/04/2017

विषय:-राज्य की सभी काराओं में संविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चिकित्सकों (सामान्य/विशेषज्ञ) को नियोजित करने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य की सभी काराओं में संविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चिकित्सकों (सामान्य/विशेषज्ञ) को नियोजित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त हेतु वाक-इन-इन्टरव्यू एवं शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य संबंधित मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच दिनांक-24.04.2017 को पूर्वाह्न 10:30 बजे कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना में आयोजित किया जायेगा। इसकी पाँच प्रति सी. डी. के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र लगातार दो दिन प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त पर महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-कारा/स्था0(चि0)01-03/2017.....1788.....दिनांक...12/04/2017.....पटना+

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)
बिहार, पटना।

Arum

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

राज्य के विभिन्न काराओं में सविदा के आधार पर चिकित्सकों (विशेषज्ञ एवं सामान्य) की नियुक्ति हेतु वाक-इन-इन्टरव्यू

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के अधीन राज्य के काराओं में सविदा के आधार पर नियोजन हेतु चिकित्सक (विशेषज्ञ एवं सामान्य) के लिए वाक-इन-इन्टरव्यू के द्वारा अनुबंध पर नियुक्ति करने हेतु दिनांक-24.04.2017 को पूर्वाह्न 10:30 बजे महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के कार्यालय में Walk in Interview का आयोजन किया गया है। योग्य उम्मीदवार उक्त तिथि को अपने सभी मूल प्रमाण-पत्र यथा सभी शैक्षणिक, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र एवं उसकी अभिप्रमाणित प्रति तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो के साथ ससमय उपस्थित होंगे। इस नियुक्ति में सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण (महिला आरक्षण सहित) का पालन किया जायेगा। उक्त हेतु कोई यात्रा व्यय का वहन नहीं किया जायेगा।

क्र०	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता (एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त)	रिक्तियाँ
01	विशेषज्ञ चिकित्सक मानदेय रु० 48000/-	एम.बी.बी.एस. एवं एम.डी.(मेडिसीन)	34
02	सामान्य चिकित्सक मानदेय रु० 44000/-	एम.बी.बी.एस.	63

(रिक्ति की संख्या घट-बढ़ सकती है।)

2. राज्य के विभिन्न काराओं का नाम जहाँ सविदा आधारित चिकित्सकों (विशेषज्ञ एवं सामान्य) का पदस्थापन किया जाना है जो निम्नवत् है :-

क्र०	कारा का नाम	विशेषज्ञ चिकित्सक (अनुबंध)	सामान्य चिकित्सक (अनुबंध)
1	आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना	01	
2	शहीद खुदी राम बोस के० कारा मुजफ्फरपुर	01	02
3	केन्द्रीय कारा भागलपुर	01	01
4	केन्द्रीय कारा, गया	01	
5	केन्द्रीय कारा, बक्सर		02
6	वि० केन्द्रीय कारा भागलपुर	01	
7	केन्द्रीय कारा, पूर्णिया	01	02
8	केन्द्रीय कारा, मोतिहारी	01	02
9	मंडल कारा बिहारशरीफ	01	
10	मंडल कारा, फुलवारीशरीफ	01	
11	मंडल कारा, जहानाबाद		01
12	मंडल कारा, हाजीपुर	01	
13	मंडल कारा नवादा	01	02
14	मंडल कारा समस्तीपुर	01	01
15	मंडल कारा, सासाराम	01	01
16	मंडल कारा, आरा	01	
17	मंडल कारा सीवान	01	01
18	मंडल कारा बेतिया		02
19	मंडल कारा दरभंगा	01	
20	मंडल कारा मधुबनी	01	01

21	मंडल कारा, सीतामढी	01	01
22	मंडल कारा सहरसा	01	01
23	मंडल कारा, गोपालगंज	01	01
24	मंडल कारा बेगुसराय	01	
25	मंडल कारा मधेपुरा	01	02
26	मंडल कारा कटिहार	01	01
27	मंडल कारा खगड़िया	01	
28	मंडल कारा औरंगाबाद	01	02
29	मंडल कारा मुंगेर	01	02
30	मंडल कारा किशनगंज	01	01
31	मंडल कारा अररिया		01
32	मंडल कारा सुपौल	01	01
33	मंडल कारा लखीसराय	01	02
34	मंडल कारा जमुई	01	01
35	मंडल कारा भभुआ	01	02
36	मंडल कारा बांका	01	02
37	मंडल कारा शेखपुरा	01	02
38	महिला म0 कारा भागलपुर	01	02
39	मुक्त कारागार, बक्सर		01
40	उप कारा पटना सिटी		01
41	उप कारा हिलसा		01
42	उप कारा बगहा		02
43	उप कारा बक्सर		02
44	उप कारा नवगछिया		02
45	उप कारा रोसड़ा		02
46	उप कारा वीरपुर		02
47	उप कारा शेरघाटी		02
48	उप कारा विक्रमगंज		02
49	उप कारा दलसिंहसराय		01
50	उप कारा, दाउदनगर		01
51	उप कारा उदाकिशनगंज		02
	कुल:-	34	63

3. अन्य शर्तः:-

- (i) नियोजन के लिए आयु-सीमा अधिकतम 65 वर्ष होगी।
- (ii) विस्तृत जानकारी गृह विभाग (कारा) के वेब साईट www.home.bih.nic.in पर प्राप्त किया जा सकता है।

ह0/-

(राजीव वर्मा)

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)
बिहार, पटना।